

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

सूचना

सी.आर.एल/2015-16-00006

दिनांक: 31 मार्च, 2020

एपीडा द्वारा दिनांक 17/2/2020 को जारी की गई सूचना सं. सी.आर.एल/2015-16 - 00006 के साथ संदर्भित है जिसमें बासमती चावल के निर्यात के लिए आर.सी.ए.सी को जारी करने के लिए मोहसीन और अवज़ेह को ब्लैकलिस्ट किया गया है।

इस संबंध में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने जी.आर.एम ओवरसीज लिमिटेड V/s एपीडा में डब्ल्यू.पी. (सी) 2796/2020 और सी.एम ए.ए.पी.एल.एन 9769/2020 में आदेश जारी किया है जिसमें यह उल्लिखित है कि "इस बीच, 17/02/2020 की घोषित घोषणा रुकी रही। सभी परिणामी लाभ याचिकाकर्ता को ऑनलाइन पंजीकरण सहित प्राप्त होंगे। " आदेश की प्रति संदर्भ के लिए संलग्न है।

उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा जारी आदेश के अनुपालन के अंतर्गत, एपीडा द्वारा मोहसिन और अवज़ेह ब्रांडों के अंतर्गत बासमती चावल के निर्यात के लिए निर्यातकों की आर.सी.ए.सी आवेदनों को स्वीकार करना शुरू कर दिया गया है।

एस.एस.नैय्यर,
महाप्रबंधक